गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.04.2014 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.04.2014 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

01.	डॉ0 एम.एस.के. खोखर, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रो0 ए.के. सक्सेना	सदस्य
03.	प्रो0 एस.एस.सिंह	सदस्य
04.	प्रो0 प्रतिभा जे. मिश्रा	सदस्य
05.	प्रो0 एस.के. चतुर्वेदी	सदस्य
06.	प्रो0 जी.के. पात्रा	सदस्य
07.	प्रो0 एल.पी. पटैरिया	सदस्य
08.	प्रो0 शैलेन्द्र कुमार	सदस्य
09.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	सदस्य
10.	डॉ0 मनीष श्रीवास्तव	सदस्य
11.	डॉ0 भारती अहिरवार	सदस्य
12.	डॉ0 प्रवेश दलई	सदस्य
13.	डॉ0 मोनिका भदौरिया	सदस्य
14.	प्रो0 एस.वी.एस. चौहान	सदस्य
15.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	विशेष आमंत्रित
17.	प्रो0 आई.डी. तिवारी, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारंभ में कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय क्र.-01. **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.03.2014 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार करना।**

विचारोपरान्त विषय क्रमांक-3 की द्वितीय कंडिका को निम्न संशोधन के साथ स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.03.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि किये जाने का निर्णय लिया गया।

"विषय क्रमांक-3 की द्वितीय कंडिका- यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों छात्रों की हिन्दी विषय की परीक्षायें 16 अप्रैल, 2014 को आयोजित की जाय तथा पात्रतानुसार विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा आवेदन फार्म जमा कराया जाय।"

विषय क्र.-02. **विश्वविद्यालय द्वारा प्री-पी.एचडी. की परीक्षा आयोजन की तिथि के निर्धारण पर विचार करना।**

विचारोपरान्त निर्णय लिया 0गया कि प्री-पी.एचडी. कोर्स वर्क की परीक्षा का आयोजन 01 मई, 2014 से 15 मई, 2014 के मध्य किया जाय।

विषय क्र.-03. **कु0 यामिनी शर्मा के बी.ए. ऑनर्स द्वितीय सेमेस्टर में दिये गये प्रवेश के संबंध में विचार करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने अंकित किया कि बी.ए. आनर्स, (अर्थशास्त्र) द्वितीय सेमेस्टर में कु0 यामिनी शर्मा को दिये गये प्रवेश की पात्रता के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच पश्चात् छात्रा का प्रवेश संबंधित अध्यादेश के प्रावधान- 6 (6.1, 6.2, 6.3) के अनुसार न होने के कारण, दिये गये प्रवेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गयी।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चुंकि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए छात्रा कु0 यामिनी शर्मा का प्रवेश बी.ए. आनर्स, (अर्थशास्त्र) द्वितीय सेमेस्टर में दिया गया है, अतः प्रवेश को निरस्त किया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि लेट्रल प्रवेश के लिए पृथक से समिति का गठन कर प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय। समिति के गठन हेतु कुलपति/अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।

विषय क्र.-04. पी.एचडी. कोर्स वर्क स्कीम के संबंध में शोध छात्र देवेंन्द्र सिंह के अभ्ययावेदन पर विचार उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्री-पी.एचडी. हेतु वर्तमान में प्रचलित नियम के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

अध्यक्ष एव उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति/अध्यक्ष **कुलसचिव (कार्यवाहक)**